[illegible]

बिहार सरकार

वित्त विभाग

अधिसूचना

भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) निरसन नियमावली, 2010 को संशोधित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. **संक्षिप्त नाम एवं आरंभ :-** (i) यह नियमावली बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) निरसन (संशोधन) नियमावली, 2013 कही जा सकेगी ।

(ii) यह दिनांक 01.01.2009 से प्रवृत्त होगी ।

2. बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) निरसन नियमावली 2010 के नियम-2 का संशोधन बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) निरसन नियमावली, 2010 के नियम-2 की कंडिका-(ii) की अन्तिम पंक्ति "आगे और कि 31.12.2008 और इस निरसन नियमावली के प्रभावी किये जाने की तिथि के बीच निरसित ए०सी०पी० के अधीन वेतन प्रोन्नति प्राप्त होगी।" को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा-

आगे और कि 31.12.2008 और इस निरसन नियमावली के अधिसूचित होने की तिथि 13.07.2010 के बीच निरसित ए०सी०पी० नियमावली के अधीन वेतन प्रोन्नति प्राप्त होगी"

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(प्रभात शंकर)

अपर सचिव, वित्त विभाग ।

ज्ञापांक- 3ए-2-वे०प०-18/2009-- **6068/वि०** पटना,दिनांकः– **13/06/2013**

प्रतिलिपि- प्रधान महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

(प्रभात शंकर)

अपर सचिव, वित्त विभाग ।

ज्ञापांक- 3ए-2-वे०प०-18/2009– **6068/वि०** पटना,दिनांकः– **13/06/2013**

प्रतिलिपि- सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार/सभी जिला लेखा पदाधिकारी/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

13.6.13

(प्रभात शंकर)

अपर सचिव, वित्त विभाग ।